

स.स.स.मु.लि., जयपुर,

प्रारूप आर.एस. 5.18 ख
(नियम 5.9 (1) (xii) देखिए)

किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था की बस के सम्बन्ध में परमिट

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय

परमिट सं. आर.एस. 2462

भाग-क

1. धारक का नाम : भारतीय विद्या भवन केंद्र जयपुर
2. पता : एन.आर.आई. सर्किल के पास प्रतापनगर जिला जयपुर
3. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह : आरजे14पीसी1337 मॉडल 2012 बस सीट 35 समस्त
4. कुल बैठक क्षमता : 35 सीट समस्त
5. वह मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है : जयपुर-जिला
6. परमिट दिनांक 15.7.2017 तक विधिमान्य है, अवसान का दिनांक 16.7.2017
7. परमिट धारक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (4क) में उल्लिखित परमिट की शर्तों का पालन करेगा।

दिनांक 16.7.2012

वाहन का उपयोग केवल शर्तों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।
इसके अन्तर्गत कोई भी अन्य शर्त का अर्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता।

वाहन पोंच सर्व परामा औद्योगिक

अति. जयपुर
सचिव/कार्यपालक अधिकारी
परिवहन प्राधिकारी

नवीनीकरण

परमिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए 20 तक नवीकृत किया जाता है:-

Renewed upto 15.07.2022
upto 04.07.2017

अति. जयपुर
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

दिनांक

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
परिवहन प्राधिकारी

किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था की बस के सम्बन्ध में परमिट

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय

भाग-ख

जयपुर

1. विशिष्ट शिक्षा संस्था का बस परमिट सं. 9462 (आर.एस. 5.18 ख)

1. धारक का नाम : भारतीय विद्या भवन केन्द्र जयपुर
2. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह : एन.आर.आई.सर्किल के.प्रा.प्र.वा.पनगर.जिला.जयपुर
आरजे14पीसी1337 मॉडल 2012 बस सीट 35 समस्त
3. मार्ग/क्षेत्र : जयपुर जिला
4. अवसान की तारीख : 16.7.2012 से 15.7.2017
5. परमिट धारक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (4क) में उल्लिखित परमिट की शर्तों का पालन करेगा।

दिनांक

वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
किराया दे जाने में ही प्रमिट है।
इसके अलावा किसी भी रूप में वाहन का
प्रकार बदल एक दिनांक पर नहीं किया जायेगा।

वाहन मॉक नंबर पुराना थोकप्रतिक
लागू करने धारक ही भोजनगा।

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
परिवहन प्राधिकारी

नवीनीकरण

.....20.....तक नवीकृत

Renewed upto 15.07.2022
upto 04.07.2017

दिनांक

अति. सचिव
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
जयपुर

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
परिवहन प्राधिकारी

STATE TRANSPORT DEPARTMENT
STATE TRANSPORT DEPARTMENT ARTO, JAGATPURA,
JAIPUR
FORM 38



[See Rule 62(1)]

CERTIFICATE OF FITNESS

(Applicable in the case of transport vehicles only)

Vehicle No RJ14PC1337 (Educational Institution Bus) is certified as complying with the provisions of the Motor vehicles Act, 1988 and the rules made there under.

Certificate will expire on : 06-Jul-2018
Next Inspection Due Date : 07-Jun-2018
Inspection Fee Receipt No : RJ141R1707000930

Receipt Date : 05-Jul-2017
Chassis No : MB1PAEFC9CEWJ0263
Engine No : CWHZ110458
Seating Capacity : 35 (Including Driver)
Registration No : RJ14PC1337
Manufacturing Year : 2012
Inspected on : 07-Jul-2017
Printed on : 18-Jul-2017 16:28:58

Type of Body : BUS
Category of Vehicle : LPV
Inspected by : RAJIV KUMAR JAIN

Signature and Designation
of Issuing Authority
ARTO, JAGATPURA, Jaipur